12 MAY 2024

शामिल विषय (TOPICS COVERED)

1. **अध्ययन महिलाओं, बच्चों पर जलवायु परिवर्तन से जुड़े खतरों के प्रभाव को दर्शाता है (GS PAPER III: पर्यावरण, GS PAPER II सोसायटी)**
2. **पंजाबी कवि सुरजीत पातर का 79 साल की उम्र में लुधियाना में निधन (स्टेट PCS)**
3. **लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फ़ेलोशिप से सम्मानित किया गया**
4. **दिल्ली रिज (राज्य PCS)**
5. **धीमी गति से जलती जिंदगियां (GS PAPER III: पर्यावरण, GS PAPER II सोसायटी)**
6. **लाभ पर कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला (GS PAPER III)**
7. **सीटों पर चुनाव लड़ने के नियम क्या हैं? (GS PAPER II: राजनीति)**
8. **भारत फार्मा सेक्टर को कैसे सुव्यवस्थित कर रहा है? (GS PAPER III: फार्मा उद्योग)**

PatriotiCIAS

दिल्ली रिज भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला और एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक विशेषता है। यह **अरावली रेंज का विस्तार है, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जिसकी उम्र 1.5 अरब वर्ष आंकी गई है** ।

यहां दिल्ली वन और वन्यजीव विभाग की जानकारी के आधार पर दिल्ली रिज का सारांश दिया गया है:

- यह पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है, जिसकी भूवैज्ञानिक संरचना 1.5 अरब वर्ष पुरानी होने का अनुमान है।
- यह भट्टी खदानों के पास तुगलकाबाद में दक्षिण-पूर्व से फैला हुआ है, कुछ स्थानों पर शाखाएँ फैलाता है और उत्तर में यमुना नदी के पश्चिमी तट पर वज़ीराबाद के पास लगभग 35 किलोमीटर की दूरी तय करता है।

- रिज का पूरा क्षेत्र लगभग 8,000 हेक्टेयर है और इसे चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया है - उत्तरी रिज, दक्षिणी रिज, सेंट्रल रिज और दक्षिण सेंट्रल रिज।
- **पारिस्थितिक महत्व:** रिज **"दिल्ली के फेफड़े" के रूप में कार्य करता है, जो राष्ट्रीय राजधानी के लिए एक महत्वपूर्ण हरित आवरण प्रदान करता है और वनस्पतियों और जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास के रूप में कार्य करता है।**

यह रिज **विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों के जीवन का घर है, जिसमें पौधों की 400 से अधिक प्रजातियाँ, पक्षियों की 100 प्रजातियाँ और स्तनधारियों की 36 प्रजातियाँ शामिल हैं** । यह एक महत्वपूर्ण पक्षी विहार क्षेत्र है और **तेंदुए, लकड़बग्घे और सियार** जैसे जानवरों की शरणस्थली है ।
दिल्ली रिज न केवल एक पारिस्थितिक हॉटस्पॉट है, बल्कि इसमें कई ऐतिहासिक स्मारक और जैव विविधता पार्क भी हैं, जो इसे अवकाश और मनोरंजन के लिए एक लोकप्रिय स्थान बनाते हैं।

EPF लाभों पर कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय (12 MAY) (GS PAPER II: कमजोर वर्ग के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) **श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन** एक सांविधिक निकाय है ।
EPFO की स्थापना 1951-52 में पारित कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश के साथ हुई।

EPFO क्या करता है?
EPFO भारत में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन करता है, जिनमें शामिल हैं:
* कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना: यह योजना कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति बचत प्रदान करती है। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही कर्मचारी के मूल वेतन का 12% इस निधि में योगदान करते हैं।
* कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस): यह योजना कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करती है।
* कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (ईडीएलआई) योजना: यह योजना कर्मचारियों को सेवा के दौरान उनकी मृत्यु के मामले में बीमा कवरेज प्रदान करती है।

- **EPFO योजनाओं के लिए कौन पात्र है?**

20 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में काम करने वाले अधिकांश कर्मचारी EPFO योजनाओं के लिए पात्र हैं। कुछ अपवाद हैं, जैसे सरकारी कर्मचारी और कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी।

- **मैं अपने EPF खाते तक कैसे पहुंच सकता हूं?**

आप यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) का उपयोग करके अपने EPF खाते तक ऑनलाइन पहुंच सकते हैं। यूएएन एक विशिष्ट पहचान संख्या है जो EPFO योजनाओं के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक कर्मचारी को दी जाती है।

- कर्नाटक **उच्च न्यायालय ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में विदेशी श्रमिकों को शामिल करने की अनुमति देने वाले कानून में 15 साल पुराने संशोधन को अमान्य कर दिया।**
- **कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (EPF योजना) के अनुच्छेद 83 और कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपी योजना) के अनुच्छेद 43A में उल्लिखित अंतरराष्ट्रीय श्रमिकों के लिए विशेष नियमों को** रद्द कर दिया ।
- अदालत ने इन प्रावधानों को "असंवैधानिक और मनमाना" माना।

विदेशी कर्मचारियों के लिए EPF लाभ क्या हैं ?

- कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952, भारत में एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कानून है।

PatriotIAS

- यह तीन मुख्य योजनाओं को विनियमित करता है: **EPF योजना, ईपीएस योजना और कर्मचारी जमा-लिंक्ड बीमा योजना, 1976** ।
- इन योजनाओं का प्रबंधन **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा किया जाता है।** एक वैधानिक निकाय.
- **न्यूनतम 20 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को EPFO के साथ पंजीकरण कराना तथा पात्र कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि (पीएफ) अंशदान करना आवश्यक है।**
- 2008 में इस अधिनियम में संशोधन करके इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों या प्रवासियों को भी शामिल किया गया।
- संशोधन के अनुसार , **भारत में न्यूनतम छह महीने तक कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों को पीएफ अंशदान करना होगा, जिसमें उनके कुल वेतन का 12% शामिल होगा, तथा नियोक्ता की ओर से भी उतना ही अंशदान दिया जाएगा** ।
- **घरेलू समकक्षों के विपरीत, पीएफ लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति माह 15,000 रुपये की वेतन सीमा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों पर लागू नहीं होती है।**
- **मौजूदा सामाजिक सुरक्षा समझौतों (एसएसए) के अनुसार, भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों द्वारा पीएफ संचय की निकासी की अनुमति केवल 58 वर्ष की आयु में प्रतिष्ठान में सेवा से सेवानिवृत्त होने पर या काम के लिए स्थायी अक्षमता के कारण सेवानिवृत्ति पर ही दी जाती है।**

सामाजिक सुरक्षा समझौते क्या हैं?

- सामाजिक सुरक्षा समझौते (एसएसए) द्विपक्षीय समझौते हैं जो विदेशी देशों में कार्यरत श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए निष्पादित किए जाते हैं।
- अपने भारतीय नियोक्ताओं द्वारा विदेश में तैनात भारतीय कर्मचारी आमतौर पर घरेलू कानून के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा अंशदान करना जारी रखते हैं।
- मेजबान देश के कानून के तहत भी उनसे इसी प्रकार का योगदान करने की अपेक्षा की जा सकती है।
- हालांकि, निकासी पर प्रतिबंध और उनके प्रवास की अवधि से संबंधित शर्तों के कारण, ऐसे कर्मचारियों को अक्सर भारत के बाहर किए गए पीएफ अंशदान का लाभ नहीं मिल पाता है।
- एसएसए का क्रियान्वयन घरेलू और मेजबान दोनों देशों के सामाजिक सुरक्षा कानूनों के तहत दोहरी कवरेज से बचने के लिए किया जाता है।
- विदेशों में तैनात भारतीय श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों के समन्वय को सुगम बनाने के लिए भारत ने 21 देशों के साथ एसएसए (SSA) स्थापित किए हैं।

फैसला क्या कहता है?

- कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 का प्राथमिक उद्देश्य औद्योगिक श्रमिकों को पेंशन के विकल्प के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करना था।
- हालाँकि, इस कानून का उद्देश्य सभी कर्मचारियों को उनके वेतन स्तर की परवाह किए बिना सार्वभौमिक रूप से पीएफ लाभ प्रदान करना नहीं था।
- न्यायमूर्ति के.एस. हेमलेखा ने विदेश में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और भारत में काम करने वाले विदेशी श्रमिकों के बीच भविष्य निधि अंशदान में असमानता पर प्रकाश डाला।
- उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए इस विसंगति को असंवैधानिक बताया, जो भेदभाव पर रोक लगाता है।
- EPFO ने सक्रियतापूर्वक स्थिति का मूल्यांकन करके तथा अपील तैयार करके प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

Patriotic IAS

- EPFO चिंताओं के समाधान के लिए नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श कर रहा है।
- EPFO अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के दौरान कर्मचारियों के लिए निर्बाध सामाजिक सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित करने के लिए 21 देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौतों (एसएसए) के महत्व पर जोर देता है।
- ये समझौते अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता को बढ़ावा देंगे और भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाएंगे।

इसके निहितार्थ क्या हैं?

- शार्दुल अमरचंद मंगलदास की पार्टनर पूजा रामचंदानी ने कहा कि हालांकि कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय कर्नाटक के बाहर की अदालतों को प्रभावित कर सकता है, **फिर भी पीएफ अधिकारी अन्य राज्यों में अस्थायी रूप से प्रावधानों को लागू कर सकते हैं।**
- **इसके लिए नियोक्ताओं को कुछ क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए भविष्य निधि अनुपालन जारी रखने की आवश्यकता हो सकती है।**
- मुद्दा यह नहीं है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों को उनकी सीमित रोजगार अवधि के कारण पीएफ लाभ मिलना चाहिए, बल्कि यह है कि क्या **अंशदान दरों के संबंध में विदेशी कर्मचारियों को भारतीय कर्मचारियों से अलग मानने का कोई औचित्य है।**
- रामचंदानी ने सुझाव दिया कि भारत को विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए पीएफ लाभों के संबंध में घरेलू कामगारों के समान ही प्रवासियों के साथ व्यवहार करने के लिए कानून में संशोधन पर विचार करना चाहिए।
- इस फैसले का असर अन्य देशों के साथ भारत के मौजूदा सामाजिक सुरक्षा समझौतों (एसएसए) पर भी पड़ सकता है।
- **यदि कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा जाता है, तो भारत को एसएसए में उल्लिखित पारस्परिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कानूनों में संशोधन करने की आवश्यकता हो सकती है।**

भारत फार्मा सेक्टर को कैसे सुव्यवस्थित कर रहा है? (12 MAY)

दवा नियामक ने निर्यात के नियमों में बदलाव क्यों किया है? औषधि निर्माता के रूप में भारत कहाँ खड़ा है? क्या यह बदलाव घटिया दवाओं के निर्यात के आरोपों के बाद हुआ है? क्या एक केंद्रीकरण प्राधिकरण मदद करेगा, कई महत्वपूर्ण दवाओं को जाने के लिए तैयार किया गया है पेटेंट सूची?

- भारत के दवा नियामक, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने राज्य लाइसेंसिंग अधिकारियों को सौंपे गए अधिकार वापस ले लिए हैं।
- यह प्राधिकरण **निर्यात के लिए अस्वीकृत, प्रतिबंधित या नई दवाओं के निर्माण के लिए एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जारी करने से संबंधित है।**
- इससे पहले, राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी ये एनओसी जारी कर सकते थे।

PatriotICAS

- सीडीएससीओ **अब निर्यात प्रयोजनों के लिए दवाओं के विनिर्माण लाइसेंस जारी करने के लिए जिम्मेदार एकमात्र प्राधिकरण है।**
- यह निर्णय भारत के फार्मास्यूटिकल निर्यात को लेकर चिंताओं के बीच लिया गया है।
- **भारत से घटिया दवाओं की आपूर्ति के आरोप** लगते रहे हैं , जिससे विभिन्न देशों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

- इस कदम का उद्देश्य **निर्यात के लिए दवा निर्माण पर नियंत्रण को केंद्रीकृत करना है** और यह सुनिश्चित करें कि गुणवत्ता मानकों को पूरा किया जाए।

फार्मा बाजार में भारत की भूमिका क्या है?

- **मात्रा की दृष्टि से औषधि एवं फार्मास्यूटिकल उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है।**
- यह लगभग 200 देशों/क्षेत्रों को फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात करता है।
- भारतीय **फार्मास्युटिकल उद्योग टीकों की वैश्विक मांग का 62% आपूर्ति करता है।**
- **डीपीटी, बीसीजी और खसरे के टीके** जैसे टीकों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है ।
- **आवश्यक टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार, WHO के लगभग 70% टीके भारत से प्राप्त होते हैं।**
- दवा निर्माण के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण का केंद्रीकरण महत्वपूर्ण है।
- यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत आने वाले दशक में 251 अरब डॉलर की दवाओं के पेटेंट खत्म होने से लाभ उठाने की तैयारी कर रहा है।
- **दवाओं के पेटेंट से बाहर होने** के कारण भारत में फार्मास्युटिकल क्षेत्र में 2022 और 2030 के बीच महत्वपूर्ण बदलाव होने की उम्मीद है ।
- समाप्ति **से जेनेरिक उत्पादों के प्रवेश का अवसर मिलता है, जिससे भारतीय जेनेरिक दवा बाजार में विकास होता है।**
- भारत आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और बाजार में समय पर प्रवेश के लिए रणनीतियों को लागू करने के लिए इन दवाओं की पहले से पहचान करने की जरूरत है।

चुनौतियाँ क्या हैं?

- भारत को फार्मास्युटिकल क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें **बौद्धिक संपदा अधिकार और अनुसंधान और विकास की कमी के मुद्दे शामिल हैं।**

- फार्मास्युटिकल बाजार में अवसरों और चुनौतियों का आकलन करने के लिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक, तकनीकी, पर्यावरणीय और कानूनी कारकों को समझना महत्वपूर्ण है।
- वैश्विक बाजार में सफलता के लिए बाहरी कारकों में बदलाव को अपनाना, नियामक आवश्यकताओं पर ध्यान देना, प्रौद्योगिकी प्रगति का लाभ उठाना और उद्योग की जरूरतों के साथ रणनीतियों को संरेखित करना आवश्यक है।
- **फार्मास्यूटिकल निर्यात के लिए एनओसी जारी करने को केंद्रीकृत करने का राहील शाह जैसे उद्योग विशेषज्ञों द्वारा स्वागत किया गया है** , उनका मानना है कि इससे उद्योग औपचारिक हो जाएगा, दक्षता में सुधार होगा और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
- भारत **सरकार ने 20 राज्यों की 76 कंपनियों का निरीक्षण करने के बाद खराब गुणवत्ता वाले विनिर्माण के लिए 10 से अधिक दवा कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए।**
- अच्छे विनिर्माण प्रक्रियाओं का अनुपालन न करने के कारण 26 कम्पनियों को नोटिस जारी किये गये।
- इस कदम का उद्देश्य दवा विनिर्माण गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखना तथा विनिर्माण लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना है।
- एनओसी के लिए शक्तियों को केंद्रीकृत करने का निर्णय अचानक नहीं लिया गया है, क्योंकि यह **स्थानीय औषधि नियामकों से एनओसी प्राप्त करने की थकाऊ प्रक्रिया को संबोधित करता है, जिसके कारण देरी होती है** ।
- केंद्रीकरण **का उद्देश्य लागत या देरी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाले बिना आवेदन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है, क्योंकि दवा निर्यात के लिए लाइसेंस जारी करने की शक्ति पहले से ही राज्यों को सौंपी गई थी** ।

सीटों पर चुनाव लड़ने के नियम क्या हैं? (12 MAY)

एक उम्मीदवार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकता है? दिशा-निर्देशों में कब संशोधन किया गया?

- कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के रायबरेली से चुनाव लड़ने की घोषणा की, जहां वे वायनाड से भी उम्मीदवार हैं।
- **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951** के अनुसार , **एक उम्मीदवार अधिकतम दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित होने पर वह केवल एक ही सीट पर चुनाव जीत सकता है।**
- **1996 में शुरू की गई जन प्रतिनिधि अधिनियम की उप-धारा 33 (7) उम्मीदवारों को दो सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति देती है।**
- हालाँकि, **उसी अधिनियम की धारा 70 में कहा गया है कि एक उम्मीदवार एक समय में केवल एक ही सीट रख सकता है, यदि वह दो सीटों से जीतता है तो उपचुनाव की आवश्यकता होती है।**
- पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एन. गोपालस्वामी ने **बार-बार उपचुनाव की आवश्यकता के कारण कई सीटों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के विरोध का उल्लेख किया।**
- दोनों **ने उम्मीदवारों को केवल एक सीट से चुनाव लड़ने तक सीमित करने के लिए आरपीए में और संशोधन का प्रस्ताव दिया** ।

PatriotICAS

- गोपालस्वामी ने इस बदलाव को लागू करने में कठिनाई का उल्लेख किया, क्योंकि **राजनेता एक उम्मीदवार द्वारा चुनाव लड़ी जाने वाली सीटों की संख्या को कम करने का समर्थन करने की संभावना नहीं रखते हैं।**
- **विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, एक व्यक्ति को उस विशेष राज्य में मतदाता होना चाहिए, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए, एक व्यक्ति को भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।**
- **असम, लक्षद्वीप और सिक्किम में अपवाद** हैं , जहाँ चुनाव लड़ने के लिए विशिष्ट निवास आवश्यकताएँ लागू होती हैं।

चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है?

- न्यूनतम **आयु** लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 साल है, जबकि राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के लिए 30 साल है।
- **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता** नहीं है भारत में आम चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक है।
- उम्मीदवारों को **भारतीय नागरिक होना चाहिए,** किसी निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता, और **दो वर्ष से अधिक की सजा वाले किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो।**
- **लाभ कमाने वाले पद पर** होने पर सदस्य के रूप में चुने जाने से अयोग्यता हो सकती है सरकार के अधीन हो , न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित हो, अनुन्मोचित दिवालिया हो, भारतीय नागरिक न हो, या स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली हो।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) किसी भी अपराध के लिए दो वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले दोषी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करता है।
- यहां तक कि यदि अपील के लंबित रहने के कारण दोषसिद्धि के बाद जमानत पर है, तो भी वह व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है।
- कुछ गंभीर अपराधों के लिए, चाहे जो भी सजा दी गई हो, दोषसिद्धि होने पर अयोग्यता हो जाती है।

विगत वर्षों में, उम्मीदवारों के संबंध में चुनाव आयोग द्वारा क्या परिवर्तन किए गए हैं?

- भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों के वित्तपोषण के नियमों में संशोधन किया है।
- नये नियमों में **नकद दान की सीमा ₹20,000 से घटाकर ₹2,000 करना शामिल है** ।
- जनवरी 2018 में गुमनाम योगदान की अनुमति देने और नकदी के उपयोग को सीमित करने के लिए शुरू की गई चुनावी बांड योजना को 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था।
- **2024 के चुनावों के लिए, चुनाव आयोग ने सूर्यास्त के बाद बैंक वाहनों में नकदी परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है।**
- आयोग **नकदी, शराब और नशीले पदार्थों की आवाजाही के लिए गैर-अनुसूचित चार्टर्ड उड़ानों पर भी नजर रख रहा है।**
- एडीआर के संस्थापक सदस्य जगदीप चोक्कर हस्तक्षेप की बात स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि **पार्टियों ने इनसे बचने के तरीके ढूंढ लिए हैं।**
- पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एन. गोपालस्वामी ने कहा कि **कोई भी कानून उम्मीदवारों द्वारा बाहुबल के प्रयोग के मुद्दे को संबोधित नहीं करता है, क्योंकि आपराधिक कानून राजनेताओं द्वारा बनाए जाते हैं** ।

PatriotICAS

- हालांकि, उन्होंने कहा कि **केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी से बूथ कैप्चरिंग जैसी प्रथाओं को रोकने में मदद मिली है, जिस** पर प्रोफेसर चोककर ने असहमति जताई है और वे इसे लोकतंत्र में एक चिंताजनक पहलू मानते हैं।

नरक के द्वार खोलना (12 MAY)

अंतर्राष्ट्रीय चेतावनियों और अनुरोधों के बावजूद, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दक्षिणी गाजा शहर पर आक्रमण करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, जहां 1.5 मिलियन फिलिस्तीनी, जिनमें से अधिकांश शरणार्थी हैं, गंदे और भीड़भाड़ वाले आश्रयों, सड़कों और समुद्र तटों पर रह रहे हैं ।

- राफा की युद्ध-पूर्व जनसंख्या: 170,000
- राफा की वर्तमान जनसंख्या: लगभग 1.5 मिलियन
- राफा की स्थिति: अत्यधिक भीड़भाड़ और खराब रहने की स्थिति के कारण इसे "विशाल शरणार्थी शिविर" बताया गया है
- राफा में चुनौतियों का सामना: बुनियादी सुविधाओं की कमी, भीड़भाड़ वाले आश्रय स्थल, स्वच्छ पानी और भोजन तक अपर्याप्त पहुंच
- राफा का इतिहास: 1948 के अरब-इजरायल युद्ध के बाद से इजरायल और फिलिस्तीन के बीच संघर्षों में शामिल
- हालिया घटनाक्रम: इजरायल ने उत्तरी गाजा से 10 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को निकालने का आदेश दिया
- राफा की वर्तमान जनसंख्या का अधिकांश भाग: आंतरिक रूप से विस्थापित फिलिस्तीनी

युद्ध और वार्ता

- गाजा युद्ध की स्थिति तीव्र हो गई है, तथा प्रमुख घटनाक्रम इस प्रकार हैं:
- अमेरिकी चेतावनी: अमेरिका ने इजरायल को राफा पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण करने के खिलाफ आगाह किया, क्योंकि उसे डर है कि इससे नागरिक हताहत होंगे।
- इजरायल की मंशा: प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद आक्रमण योजना पर आगे बढ़ने पर जोर दिया।
- बंधक संकट: हमास द्वारा अपहृत 128 बंधकों को छुड़ाने के लिए इज़रायल पर दबाव है। इज़रायल में विरोध प्रदर्शन कर सरकार से उनकी रिहाई के लिए हमास से बातचीत करने का आग्रह किया गया है।
- युद्ध विराम वार्ता: अमेरिका, मिस्र और कतर की मध्यस्थता में इजरायल और हमास ने काहिरा में युद्ध विराम वार्ता की है।
- युद्ध विराम प्रस्ताव: रिपोर्टों से पता चलता है कि तीन चरणीय युद्ध विराम योजना में बंधकों, फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और शत्रुता की समाप्ति शामिल है।
- विवादास्पद मुद्दे: इजरायल ने बंधकों के शवों को छोड़ने की हमास की मांग को खारिज कर दिया तथा स्थायी युद्धविराम और गाजा से आईडीएफ की वापसी की मांग की।
- इजरायल के लिए दुविधा: हमास के साथ युद्ध विराम पर बातचीत करने से समूह को वैध बनाने का जोखिम है, लेकिन इससे बंधक संकट का समाधान हो सकता है।

PatriotiCIAS

- अमेरिकी परिप्रेक्ष्य: प्रारंभ में, अमेरिकी अधिकारियों ने युद्धविराम में बाधा डालने के लिए हमास को दोषी ठहराया, लेकिन बाद में हमास ने मध्यस्थों के एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।
- इजरायल की अस्वीकृति: हमास की स्वीकृति के बावजूद, इजरायल ने हमास के साथ एक समझौते के माध्यम से गाजा युद्ध को समाप्त करने से इनकार करते हुए प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
- इज़राइली दृढ़ संकल्प: अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद, इज़राइल राफा पर हमला करने की अपनी योजना पर दृढ़ है, जो संघर्ष के लिए निरंतर सैन्य दृष्टिकोण का संकेत देता है।

अमेरिका के साथ तनाव

- नेतन्याहू ने राफा पर सख्त रुख अपनाने की योजना बनाई।
- बिडेन ने नागरिकों की रक्षा किए बिना राफा पर हमला करने के खिलाफ चेतावनी दी।
- संयुक्त राष्ट्र ने राफा पर हमला होने पर मानवीय संकट की चेतावनी दी है।
- नेतन्याहू के सामने एक दुविधा है: हमले को रद्द करें और अपनी सरकार के पतन का जोखिम उठाएं, या आगे बढ़ें और अंतरराष्ट्रीय अलगाव और अमेरिकी तनाव का सामना करें।
- नेतन्याहू दृढ़ बने हुए हैं और कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर इजराइल अकेला खड़ा रहेगा।

30 साल का अध्ययन अल्ट्रा-प्रोसेस्ड भोजन को शीघ्र मृत्यु के जोखिम से जोड़ता है

- बहुत अधिक अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ खाने से मृत्यु का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है।
- बीएमजे में प्रकाशित अध्ययन में 30 वर्षों तक 74,563 महिला नर्सों और 39,501 पुरुष स्वास्थ्य पेशेवरों पर नज़र रखी गई।
- उन्होंने पाया कि कुछ अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे खाने के लिए तैयार मांस, शर्करा युक्त पेय और अत्यधिक प्रसंस्कृत नाश्ता वाले खाद्य पदार्थ उच्च जोखिम से जुड़े हैं।
- सभी अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से परहेज करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ प्रकार के खाद्य पदार्थों को सीमित करने से दीर्घकालिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है।
- अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और आंत्र कैंसर से जुड़े हैं।
- अध्ययन में ऐसे लोगों को शामिल किया गया जिनका कैंसर, हृदय रोग या मधुमेह का कोई इतिहास नहीं था।
- प्रतिभागियों ने हर दो साल में स्वास्थ्य और जीवनशैली संबंधी जानकारी दी तथा हर चार साल में एक विस्तृत खाद्य प्रश्नावली भरी।
- अध्ययन में पाया गया कि 34 वर्षों में 48,193 मौतें हुईं, जिनमें कैंसर, हृदय रोग, श्वसन रोग और न्यूरोडीजेनेरेटिव रोगों से हुई मौतें शामिल हैं।
- जो लोग सबसे अधिक अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ खाते हैं (लगभग सात सर्विंग प्रतिदिन), उनमें कुल मृत्यु का जोखिम 4% अधिक होता है तथा अन्य मृत्यु का जोखिम 9% अधिक होता है, जबकि सबसे कम अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ खाने वालों में (लगभग तीन सर्विंग प्रतिदिन) मृत्यु का जोखिम 9% अधिक होता है।
- विशेष रूप से, जो लोग अधिक मात्रा में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ खाते थे, उनमें न्यूरोडीजेनेरेटिव मृत्यु का जोखिम 8% अधिक था।

Patriot IAS

- हालाँकि, हृदय रोग, कैंसर या श्वसन रोगों से होने वाली मौतों के लिए कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं पाया गया।
- सरल शब्दों में कहें तो, जो लोग अधिक मात्रा में अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ खाते थे, उनमें विभिन्न कारणों से मरने का जोखिम थोड़ा अधिक था।
- प्रत्येक 100,000 व्यक्ति वर्ष में, सबसे कम प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ खाने वालों में मृत्यु दर 1,472 थी, तथा सबसे अधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ खाने वालों में मृत्यु दर 1,536 थी।
- अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के प्रकार भी महत्वपूर्ण थे: खाने के लिए तैयार मांस, शर्करा युक्त पेय, डेयरी डेसर्ट, तथा प्रसंस्कृत नाश्ता खाद्य पदार्थों में मृत्यु के उच्च जोखिम के साथ सबसे मजबूत संबंध पाया गया।
- समग्र आहार गुणवत्ता पर विचार करते समय, अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के सेवन और मृत्यु के बीच संबंध कम महत्वपूर्ण था, जो दर्शाता है कि समग्र रूप से स्वस्थ आहार खाना, अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से परहेज करने की तुलना में दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण है।

हिमालय के मैगपाई (12 MAY)

- **मैगपाई कॉर्विडे परिवार से संबंधित हैं, जिसमें कौवे, नीलकंठ और रेवेन शामिल हैं।**
- **वे शोर मचाने वाले और जिज्ञासु पक्षी के रूप में जाने जाते हैं और दुनिया भर में लोककथाओं में अक्सर उन्हें शकुनों से जोड़ा जाता है ।**
- कुछ संस्कृतियों में, उन्हें चुड़ैलों से जोड़ा जाता है।
- एक अंग्रेजी कविता बताती है कि **अकेले मैगपाई को देखना दुर्भाग्य लाता है।**

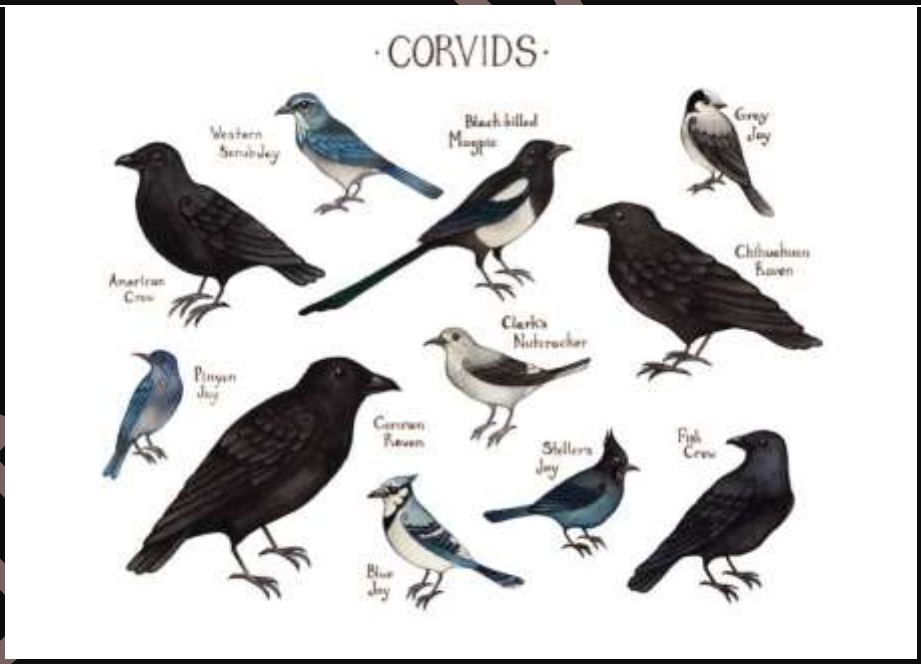

- अंधविश्वासों के बावजूद, मैगपाई दिखने में आकर्षक पक्षी हैं, खासकर हिमालय में
- हिमालय में, नीले मैगपाई की कई प्रजातियाँ हैं, जो अपनी जीवंत उपस्थिति के लिए जानी जाती हैं।
- इनमें गोल्ड-बिल्ड मैगपाई शामिल हैं, जो अधिक ऊंचाई पर रहते हैं, और रेड-बिल्ड और ब्लू मैगपाई कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जहां अधिक लोग रहते हैं।

ट्रैकिंग गलियारे

- सबसे **अच्छी जगहें पश्चिमी सिक्किम में ट्रैकिंग मार्ग हैं,** युकसोम से 1,780 मीटर की ऊंचाई पर शुरू होकर लगभग 4,700 मीटर की ऊंचाई पर गोचे ला दर्रे तक जाना।
- इस मार्ग पर, आप उष्णकटिबंधीय से उप-अल्पाइन तक, विविध पक्षी जीवन के साथ विभिन्न प्रकार के जंगलों का अनुभव करेंगे।

- सिक्किम गवर्नमेंट कॉलेज के प्राणीशास्त्रियों ने इस क्षेत्र में 250 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई हैं, जिनमें लगभग 60 पक्षी लगभग 2,500 मीटर की दूरी पर हर पाँच मिनट में दिखाई या सुनाई देते हैं।
- पीली चोंच वाला नीला मैगपाई, जो अपनी लंबी पूंछ और विशिष्ट उड़ान पैटर्न के लिए जाना जाता है, इस क्षेत्र में अक्सर सुना जाता है।
- ये मैगपाई टहनियों और घास का उपयोग करके रोडोडेंड्रोन पेड़ों में अपना घोंसला बनाते हैं, और MAY या जून में तीन से छह अंडे देते हैं। माता-पिता दोनों बच्चों की देखभाल करते हैं।
- नीले और लाल चोंच वाले मैगपाई एक जैसे होते हैं लेकिन थोड़े छोटे होते हैं, नीले मैगपाई आमतौर पर गांवों के आसपास अधिक देखे जाते हैं।
- जैसे-जैसे पर्यटन के कारण जंगलों में मानवीय गतिविधियाँ बढ़ती हैं, पक्षी कितनी अच्छी तरह अनुकूलन कर सकते हैं, इसे लेकर चिंताएँ पैदा होती हैं।
- रोडोडेंड्रोन फूल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, और ग्रामीण कभी-कभी पर्यटन का समर्थन करने के लिए जलाऊ लकड़ी जैसे वन संसाधनों पर निर्भर होते हैं।
- सतत पर्यटन प्रथाओं से आशा की जाती है कि वे रंगीन मैगपाई सहित प्राकृतिक आवास और उसके वन्य जीवन का संरक्षण सुनिश्चित करेंगे।

PatrioticIAS